

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व)-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं0 फा03(16)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/359

दिनांक 30/6/17

अधिसूचना

सं0 फा03(16)/वित्त(राज0-1)/2017-18/- दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं :-

- (1) आयुक्त, बिक्री कर
- (2) विशेष आयुक्त, बिक्री कर
- (3) अपर आयुक्त, बिक्री कर
- (4) संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
- (5) सहायक आयुक्त, बिक्री कर
- (6) वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी
- (7) वस्तु एवं सेवा कर निरीक्षक (दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा (छ) के प्रावधानों के अनुसार)

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 66 के अधीन पहले से ही नियुक्त उपरोक्त उक्त श्रेणियों के अधिकारी दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के जारी रहने तक सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे ।

साथ ही, दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 के अधीन नियुक्त उपरोक्त श्रेणियों के अधिकारी, दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. के. गुप्ता)
उप सचिव-VI (वित्त)

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

(एस० के० गुप्ता)

उप-सचिव-VI(वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/359

Dated: 30/6/17

NOTIFICATION

No.F3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub-section (1) of Section 4 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following officers for purpose of the Act:-

- (1) Commissioner of State Tax
- (2) Special Commissioners of State tax
- (3) Additional Commissioners of State Tax
- (4) Joint Commissioners of State Tax
- (5) Assistant Commissioners of State Tax
- (6) Goods and Services Tax Officer
- (7) Goods and Services Tax Inspector (as per provisions of section 3(g) of the DGST Act 2017)

The officers of above said categories already appointed under Section 66 of DVAT Act 2004 shall continue to perform statutory functions till such time the provisions of DVAT Act 2004 continue to exist.

Concurrently, the abovementioned categories of officer(s) as appointed under Section 3 read with sub-section (1) of Section 4 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 shall perform statutory and other functions under the DGST Act.

Contd.....

This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/359

Dated:30/6/17

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)